an>

Title: Need to provide adequate compensation to land owners whose land have been acquired for six-laning of National Highway No.2 in Jharkhand.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ...(व्यवधान) झारखण्ड में बरवड्डा से औरंगाबाद तक राष्ट्रीय राजमार्ग-2, जिसे जी.टी. रोड के नाम से भी जाना जाता है, में 6 लेन निर्माण हेतु धनबाद जिले में जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। ...(व्यवधान) जमीन अधिग्रहण में भूमि और मकानों की मूल्यांकन दर काफी कम आंकी जा रही है। कृÂिष भूमि की जो सबसे अधिकतम दर है, वह चार हजार रुपए प्रति डिसमिल निर्धारित की गई है, जबकि उन क्षेत्रों में, खासकर धनबाद जिला के अंतर्गत मौजा-जरूवाडीह, सतकियारी, अमलखोरी, कल्याणपुर तथा सिंहडीह में 25 हजार रुपए से 70 हजार रुपए प्रति डिसमिल की दर से हाल के वÂर्षों में जमीन क्रय की गई है। इसी से सटे हुए गिरिडीह जिले में कुछ मौजों में कृÂिष भूमि की तय राशि लगभग 97 हजार रुपए प्रति डिसमिल की दर से भुगतान की जा रही है। ...(व्यवधान)

अतः सदन के माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि मकान और जमीन के मूल्यांकन दर की विसंगतियों को दूर करते हुए रैयतों को बाजार मूल्य के भाव से भुगतान करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :

श्री निशिकान्त दुबे,

श्री रोड़मल नागर,

श्री सुधीर गुप्ता,

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी और

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।